राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 2013/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर0 टी0 आई0 रिसर्च सेन्टर कुशलबाग पैलेस, Banswara ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ शासन सचिव स्वायत शासन विभाग शासन सचिवालय Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 30/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री घनश्याम व्यास, अधिवक्ता, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 14-8-17 सूचना अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को प्रस्तुत कर माह जुलाई, 2011 में उनके कार्यालय में प्रस्तुत सूचना के आवेदनों की प्रतिलिपि और प्रत्येक आवेदक को उपलब्ध करवाई गई सूचना के फारवर्डिंग पत्र की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 7-9-17 से संसूचित कर दिया गया था कि प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में सूचना के आवेदन पत्रों का अलग से कोई रजिस्टर संधारित नही किया जाता है एवं न ही इस तरह के आवेदन पत्रों की कोई पत्रावली अलग से संधारित की जाती है। प्रमुख शासन सचिव द्वारा सूचना का अधिकार से सम्बन्धित पत्रों को सिर्फ मार्क कर निदेशालय स्थानीय निकाय, जयपुर को भिजवा दिया जाता है। यह भी स्पष्ट किया कि प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय की ओर से अतिरिक्त निदेशक ही राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है एवं अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 7-9-17 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ही जारी किया गया है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 9-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, जिसकी प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है। अंकित किया है कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 7-9-17 से वस्तुस्थिति से संसूचित कर दिया गया था।

7. अपीलार्थी ने प्रतिक्रिया दिनांक 17-4-18 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान, जयपुर से उन्हें तथाकथित सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना एक अन्य पब्लिक ऑथोरिटी ने प्रेषित की है और अपीलार्थी ने आवेदन एक अन्य पब्लिक ऑथोरिटी को प्रेषित किया था। उक्त पब्लिक ऑथोरिटी ने सूचना के आवेदन का अंतरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत नहीं किया, अतः उक्त सूचना का प्रभाव शून्य है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान को नहीं किया गया है बल्कि प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय को किया गया है जो कि प्रथम अपीलीय अधिकारी है, फिर भी प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सूचना के आवेदन को निदेशालय, स्थानीय निकाय को मार्क कर प्रेषित किया गया अर्थात उनके द्वारा उक्त आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी को मार्क कर दिया गया, जिसकी पुष्टि प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा पैरा संख्या 5 में किये कथन से होती है। परन्तु राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 7-9-17 निदेशालय, स्थानीय निकाय राजस्थान, जयपुर के लेटर हैड पर किया गया है, अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह पूर्व प्रेषित विनिश्चय दिनांक 7-9-17 अतिरिक्त निदेशक एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग की हैसियत से पुनः आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में पंजीकृत डाक से प्रेषित करें एवं अपीलार्थी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार विभाग के पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी को ही करें।

9. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त